representatives of the trade unions of the insurance industry; and the representatives of the consumer interest groups, Chambers of Commerce & Industry, economists and opinion makers. The suggestions made in these discussion will be kept in view by the Government while taking final decisions on the recommendations made by the CRIS.

(c) The Government in the Ministry of civil Suplies, Consumer Affairs & Public Distribution, administering Consumer Protection and Relief Act, do not generate information in this format.

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा बनाए गए नियम

2734. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सरकारी बैंकों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अपनी ऋण योग्य निधियों का क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत अल्पकालीन ऋणों में न्यूनतम निवेश किए जाने के संबंध में नियम बनाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वह पूंजी 11 प्रतिशत ब्याज पर संग्रहीत कर 9 प्रतिशत ब्याज पर निवेश करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उनके खाते पर 2 प्रतिशत घाटे की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी; और

(घ) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इस नियम को बदलने का विचार रखता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है उन्होंने न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता मानदंड लागू किया है जिसके अनुसार राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अल्पावधिक कृषि ऋणों में अपने निवल ऋणयोग्य संसाधनों का कम से कम क्रमशः 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत प्रदान करना होता है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से केन्द्रीय सहकारी बैंक को जो ब्याज दर प्रभारित करनी होती है यह विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है जैसे जमाराशियां जुटाने की लागत आदि। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से विद्यमान प्रभार्य ब्याज दर 9% वार्षिक है। आमतौर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक भुगतान की गई ब्याज राशि की कमी को बहुत ही रियायती ब्याज दर पर नाबार्ड/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पूनर्वित्त प्राप्त करके पूरा करते हैं। न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता मानक के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाने/उपाय करने हेतु सुझाव देने के लिए नाबार्ड ने पहले ही एक अध्ययन दल का गठन किया है।

मध्य प्रदेश सरकार के नकदी के लेन-देन का कार्य करने वाले बैंक

2735. **श्री कैलाश नारायण सारंग:**
श्री जगन्नाथ सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार के नकदी के लेन-देन का कार्य कौन-कौन बैंकों की शाखाओं द्वारा किया जा रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार के नकदी के लेन-देन को उप-कोषालय से बैंकों की शाखाओं को स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कौन-कौन से स्थानों के लिए अनुरोध किया है और मांग की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का चरणबद्ध कार्यक्रम क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक आफ इंदौर की शाखायें मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के नकद लेन-देन का कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) उन गैर-बैंककारी उप कोषालयों की सूची विवरण में दी गई है जिनको बैंकिंग शाखाओं में परिवर्तित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को सुझाव दिया था। (नीचे देखिए) इसकी व्यवहार्यता का आरंभिक अध्ययन करने और संबंधित उप-कोषालयों के नकद लेन-देन का कार्य करने की उत्सुकता हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूची भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ इंदौर और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के पास भेजी है। संबंधित केन्द्रों में सरकार के नकद लेन-देन का कार्य करने के लिए राज्य सरकार भी इस मामले पर बैंकों के साथ सलाहकार कर रही है।

विवरण

गैर बैंककारी उप कार्यालयों के स्थानों पर इस समय कार्य कर रही राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

क्र०स०	राष्ट्रीयकृत बैंकों का नाम	उपकार्यालय का नाम (जिला सहित)
	स्टेट बैंक आफ इंडिया	
1.	भारतीय स्टेट बैंक	सेगांव (खारगांव)
2.	भारतीय स्टेट बैंक (बैंक आफ इंडिया)	कलरोड (उज्जैन)
3.	भारतीय स्टेट बैंक (स्टेट बैंक आफ इंदौर)	कोलारास (शिवपुरी)
4.	भारतीय स्टेट बैंक	सेवादा (दतिया)
5.	भारतीय स्टेट बैंक	रेहली (सागर)
6.	भारतीय स्टेट बैंक	देवारी (सागर)
7.	भारतीय स्टेट बैंक	पाथी (पन्ना)
8.	भारतीय स्टेट बैंक	शाहनगर (पन्ना)
9.	भारतीय स्टेट बैंक	राजनगर (छतरपुर)
10.	भारतीय स्टेट बैंक (सेंट्रल बैंक आफ इंडिया)	बरेली (रायसेन)
11.	भारतीय स्टेट बैंक	पाटन (जबलपुर)
12.	भारतीय स्टेट बैंक	गोटेगांव (नरसिंहपुर)
13.	भारतीय स्टेट बैंक (सेंट्रल बैंक आफ इंडिया)	परसिया (छिंदवाड़ा)
14.	भारतीय स्टेट बैंक	निवास (मण्डला)
15.	भारतीय स्टेट बैंक	बह्मपनगर (सरगुजा)
16.	भारतीय स्टेट बैंक	सेमरी (कुसमी) (सरगुजा)
17.	भारतीय स्टेट बैंक	भरतपुर (सरगुजा)
18.	भारतीय स्टेट बैंक	भिलाईगढ (रायपुर)
19.	भारतीय स्टेट बैंक (देना बैंक)	गरियाबन्ध (रायपुर)
20.	भारतीय स्टेट बैंक	भिलाई (दुर्ग)
21.	भारतीय स्टेट बैंक	अंतगढ़ (जगदलपुर)
22.	भारतीय स्टेट बैंक (युनियन बैंक)	सतना (रीवा)
23.	भारतीय स्टेट बैंक (सेंट्रल बैंक आफ इंडिया)	बायोरि (शहडोल)
24.	भारतीय स्टेट बैंक	अनुपपुर (शाहडोल)
	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	
1.	भारतीय स्टेट बैंक (बैंक आफ इंडिया)	राजपुर (खारगांव)
2.	स्टेट बैंक आफ इंदौर (बैंक आफ इंडिया)	खजौड़ (देवास)
3.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	सीतामऊ (मन्दसौर)
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	इंदौर (इंदौर)
5.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	सिंगोल (मंदसौर)
6.	स्टेट बैंक आफ इंदौर (भारतीय स्टेट बैंक)	कोलारस (शिवपुरी)
7.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	पोहरी (शिवपुरी)
8.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	विजयपुर (मुरैना)
9.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	लातेरी (विदिशा)
10.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	शमशाद (विदिशा)

क्र०स०	राष्ट्रीयकृत बैंकों का नाम	उपकार्यालय का नाम (जिला सहित)
	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	बाजना (रतलाम)
2.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	मनसा (मनसोर)
3.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	सुवासरी (मवसोर)
4.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (भारतीय स्टेट बैंक)	राहाली (सागर)
5.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	बान्दा (सागर)
6.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	उदयपुर (रायसेन)
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (यूको बैंक) (भारतीय स्टेट बैंक)	बरेली (रायसेन)
8.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	गरतगंज (रायसेन)
9.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	गोहारगंज (रायसेन)
10.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (भारतीय स्टेट बैंक)	पटल (जबलपुर)
11.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	अमरवाड़ा (चिदवाड़ा)
12.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (भारतीय स्टेट बैंक)	परसिया (चिदवाड़ा)
13.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	लखनदोन (शहनी)
14.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	सारीपल्ली (रायपुर)
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	पुष्पराजगढ (शाडोल)
	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (भारतीय स्टेट बैंक)	ब्योहारी (शाडोल)

सहकारी बैंकों के लिए नई योजनाएं

2736. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकों के समान सहकारी बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; यदि हां तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वित्त मंत्रालय उक्त प्रस्ताव पर अब विचार-विमर्श करने का विचार रखता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) सहकारी संस्थाएं चूंकि राज्य का विषय है इसलिए सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को अपनी भूमिका अदा करने होती है। सहकारी बैंकों के संसाधन आधार को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ इस उद्देश्य के लिए स्थापित राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम प्रदान करता रहा है ताकि वे सहकारी ऋण समितियों की शेयर पूंजी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अंशदान कर सकें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना के बाद इस निधि को नाबार्ड को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इस निधि को राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (एल टी ओ) के रूप में जाना जाता है। नाबार्ड सहकारी ऋण समितियों की शेयर पूंजी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने के लिए उन्हें सहायता देने के लिए निधि में से राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम दे सकता है। शेयर को सम्बद्ध करना सहकारी क्षेत्र में उच्च स्तर की पूंजी आधार की वृद्धि को सुनिश्चित करता है।